

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजौलीया
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैंप कोर्ट)
 कैंप कोर्ट का स्थान श्री. श्री. देवी

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री. श्री. देवी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजौलीया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पन्चानपुरा तहसील विजौलीया जिला राजसमंद की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में खाता संख्या 139 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पन्चानपुरा	139	अंबरदान विहा शूरदान चारा रहित है।	अंबरदान विहा शूरदान चारा के स्थान पर अंबरमिह विहा शूरदान विहा गारा है।



विजौलीया
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलक्टर विजौलीया

दिनांक :-

क्रमांक :- 199/21

विलिपि :-

1. तहसीलदार, विजौलीया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री अंबरमिह विहा शूरदान विजौलीया को सूचनाथे।
3. रक्षित पत्रावली। पन्चानपुरा

विजौलीया
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलक्टर विजौलीया